न्यायालयः सिविल जज(जू.डि.)/जे.एम., हसनपुर, अमरोहा

परिवाद संख्या– ७६२/२०१६

रहीस बनाम नन्हें आदि

आदेश

१३.१०.२०१६–पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा २०० दण्ड प्रक्रिया संहिता नियत है, परन्तु इस निमित्त परिवादी की ओर से कोई साक्षी उपस्थित नहीं है। परिवादी स्वयं विगत अनेक तिथियों से अनुपस्थित है। उसके द्वारा कोई हाजरी माफी या स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा अपने परिवाद कथानक को किसी साक्षी के साक्ष्य से सम्पुष्ट नहीं कराया गया है। उपरोक्त परिस्थिति में विपक्षीगण के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। परिवाद अन्तर्गत धारा २०३ दण्ड प्रक्रिया संहिता निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अन्तर्गत धारा २०३ दण्ड प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित की जाये।

(राघवेन्द्र मणि)

सिविल जज(जू.डि.)/जे.एम.

हसनपुर

१३.१०.२०१६